इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic. in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपञ्

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2022—आषाढ़ 31, शक 1944

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद् के अधिनियम.

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2022

सूचना

कमांक एफ-3/112/2021/18-5 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप—धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिनों के अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप को विचार में लिया जाएगा।

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किन्हीं व्यक्तियों से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालाविध का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में.-

- नियम 12 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 "12क. 105 वर्गमीटर तक के आवासीय भू—खण्डों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर तुरंत/डीम्ड स्वीकृति जारी की जाएगी.—
 - (1) तुरंत / डीम्ड भवन स्वीकृति हेतु आवेदक को परिशिष्ट-क-2(2) में विहित प्ररूप में आवेदन पत्र एवं परिशिष्ट-क-2(3) में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (2) यह तुरंत / डीम्ड स्वीकृति, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यासों तथा नगरीय स्थानीय निकायों द्वाराजारी विकास अनुज्ञा पर लागू होगा।
- (3) केवल व्यक्तिगत भू—खण्ड धारक ही तुरंत/डीम्ड स्वीकृति के आवेदन के लिए पात्र होंगे। ऐसी अनुज्ञा ऐसे कालोनाइजरों को, जो भू—खण्ड/फ्लैट/भवन के विक्रय का आशय रखते हैंजारी नहीं की जा सकती है।
- (4) प्रस्तावित भवन योजना इन नियमों के उपबंधों एवं नगर की स्वीकृत विकास योजना के अनुसार होना चाहिए।
- (5) आवेदक द्वारा संलग्न भवन योजना नियम—26 के अनुसार होनी चाहिए।
- (6) आवेदक, भवन के निर्माण / पिरिनिर्माण द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा कोकारित होने वालीक्षति एवं किन्ही अन्य क्षिति के लिए संबंधित स्थानीय निकाय को क्षितिपूर्ति करेगा।
- (7) आवेदक द्वारा नियम—21 में विहित शुल्क के अनुसार आवेदन शुल्क तथासक्षम प्राधिकारी द्वारा लाग्विकास शुल्क काभुगतान किया जाएगा।
- (8) तुरंत / डीम्ड स्वीकृति की अवधि नियम-23 के अनुसार होगी।
- (9) आवेदक कोनियम—31(च) के अधीन,निर्माण के पूर्ण होने के पश्चात् कार्य की पूर्णता के संबंध में लिखित सूचना देनी होगी।

- (10) शुल्क प्राप्त करते समय स्थानीय निकाय द्वाराकिसी प्रकार का निरीक्षण / दस्तावेजपरीक्षण नहीं किया जाएगा। किन्तु अपूर्ण दस्तावेज अथवा अन्य कोई जानकारी, यदि आवश्यक हो, तो बाद में प्राप्त की जा सकेगी।
- (11) परिशिष्ट क—2(2) तथा परिशिष्ट क—2(3) के अनुसार शुल्क सहित आवेदन पत्र तथा शपथ—पत्र का प्रस्तुत किया जाना, स्वतः डीम्ड स्वीकृति होगा।
- (12) यदि नियमों अथवा विकास योजना के उपबंधों के अनुसार भवन योजना अथवा निर्माण कार्य नहीं किया जाता है, तो तुरंत / डीम्ड भवन स्वीकृति स्वतः निरस्त होजाएगी तथा अवैध निर्माण हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
- 2. परिशिष्ट क—2(1) के पश्चात्, निम्नलिखित परिशिष्ट अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:— ''परिशिष्ट क—2(2)

(नियम 12-क देखिए)

तुरंत / डीम्ड भवन स्वीकृति स्वघोषणा आवेदन पत्र (105 वर्गमीटर तक के भू—खण्डों के लिए)

प्रति,	
स्थानीय प्राधिकारी,	
(नाम एवं पता)	
महोदय,	
मैं,भू–खण्ड क्रमांक या खसरा क्रमांव	क पर स्थित भवन क्रमांक
क्षेत्रफल वर्गमीटर,जो कॉलोनी या	
ग्रामतहसील	में स्थित है
भवन क्रमांक के निर्माण के प्रयोजन लिए मध्यप्र	देश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 12—क
के अनुसारपरिनिर्माण या पुनर्निर्माण या परिवर्तन	करना चाहता हूँ,मैं, मेरे (नाम, अंग्रेजी के बड़े
अक्षरों में) तथा अनुज्ञप्ति क्रमांक	.के धारक वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या
इंजीनियर या पर्यवेक्षक,जो कि उक्त परिनिर्माण	
हस्ताक्षरित निम्नलिखित दस्तावेज, योजना तथा	विशिष्टियां चार प्रतियों में (हार्ड एवं सॉफ्ट
कॉपी में) प्रस्तुत कर रहा हूँ।	
1. मूलयोजना (की—प्लान)	i
2. स्थल योजना (साइट प्लान)	
3. उप–विभाजन/अभिन्यास योजना	
(सबडिवीजन / ले—आउट प्लान)	
4. भवन योजना	

				1
5.	सेवा य	गोजना (सर्विस प्लान)		:
6.	विशिष्	टयां (स्पेसीफिकेशन), सामान्	य तथा विस्तृत	:
7.	रथल	के संबंध में स्वामित्व या कोः	ई विधिक अधिकार	
	(लीगव	न राईट) के सबूत दर्शाने वा	ले दस्तावेज	:
8.	आवेदन	न शुल्क की पावती की प्रति		I
9.	इस अ	विदन के साथ प्रस्तुत किए	जाने के लिए आवे	दिक
	केभू∸र	वामी द्वारा अधिकृत किए ज	ाने केसबूतः:	
	(जहाँ	आवेदक भू—स्वामी से भिन्न	हो)	
10.	पार्किंग	। की गणना के साथ पार्किंग	। योजना	:
1 1.	शपथ-	-पत्र		1
12.	मद सं	ख्या 1 से 11 तक की इलेक	ह्रॉनिक प्रति	:
	(ক)	मैं, एतद्द्वारा यह घोषणा क भवन के निर्माण के लिए ले		ानुज्ञा स्वयं के भू—खण्ड पर आवासीय
	(ख)		में सही हैं, और	द्वारा प्रदान की गई जानकारी और यदि गलत पाए जाते हैं, तो मेरी जाएगी।
2	(ग)	में यहनिवेदन करता हूं, वि और मुझे कार्य करने की अ		ण कार्य को स्वीकृति प्रदान की जाए जाए।
		क के हस्ताक्षर : किका नाम :	E .	
	1025 - 55		***************************************	
		Control - Federal Indiana		***
	3.7 (2)	ल का पता :		*
ì	130	ष क्रमांक :		
	दिनां	:		•••

परिशिष्ट क-2(3)

[नियम-12 (क) देखिए]

शपथ-पत्र

(105 वर्गमीटर तक के आवासीय भवनों के लिए तुरंत / डीम्ड भवन स्वीकृति हेतु भवन स्वामी को प्रस्तुत किया जाए)

में /	हम (भू—खण्ड स्वामी) निम्नानुसार प्रमाणित करता हूं / करते हैं।
	कि, मैं / हम भू—खण्ड क्रमांक क्षेत्रफल वर्गमीटर, जोवार्ड
	क्रमांक जोन क्रमांक नगरपालिक निगम/नगरपालिका/नगर परिषद्
	में स्थित है, पर भवन का निर्माण करने हेतु आवेदन करता हूं/करती हैं।
2.	यह कि, मैंने/हमने निर्माण से संबंधित कार्य हेतु वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/सुपरवाईजर के रूप में मेसर्स अनुज्ञप्ति क्रमांक को नियुक्त/अधिकृतिकया है।
	यह कि, प्रस्तावित स्थल पर नगरपालिक निगम/नगरपालिका/नगर परिषद्
4.	यह कि, तुरंत / डीम्ड अनुमित हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिए गए तथ्य गलत अथवा काफी हद तक गलत हों अथवा स्वीकृति के अधीन अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया गया हो अथवा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के उपबंधों का अनुसरण नहीं
	<i>L</i>)

5. यह कि, भवन अनुज्ञा में उल्लिखित शर्तों का पालन मेरे / हमारे द्वारा किया जाएगा एवं कार्य प्रारंभ करने की सूचना मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी और तत्पश्चात् कार्यपूर्णता तथा अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात् ही भवन का उपयोग किया जाएगा।

किया गया हो, तो उपरोक्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। नगरीय स्थानीय प्राधिकारी कोआवेदक के विरूद्ध दाण्डिक / विधिक कार्रवाई करने का पूर्ण प्रधिकार होगा।

- 6. यह कि, आवेदन स्वयं के निवास हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 7. यह कि, नियम 12क के अनुपालन में, किसी भी प्रकार के परिवर्तन/आंतरिक परिवर्तन/बदलांव के लिए नगरपालिक निगम/नगरपालिका/नगर परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करना पुनः अनिवार्य होगा तथा स्वीकृति की अविध नियम—23 के अनुसार होगी।
- 8. यह कि, प्रभारों की गणना में किसी अंतर की दशा में आवेदक द्वारा अंतर की राशि जमा किया जाना अपेक्षित होगा।
- 9. यह कि, यदि किसी अन्य विभाग से अनुमित या अनापित ली जाना आवश्यक हो, तो वोंछित अनुमित प्राप्त करने की जवाबदारी आवेदक की होगी, इसके लिए विभाग जवाबदार नहीं होगा।
- 10. यह कि, उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन, आवेदन में दर्शाए गए तथ्यों के गलत पाए जाने, भूमि स्वामी के संबंध में विवाद या किसी अन्य विभाग से कोई विसंगति की दशा में, यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त हो जाएगी।

अभिसाक्षी

सत्यापान

में ऊपर नामित अभिसाक्षीसत्यापन करता हूँ, कि उपरोक्त बिन्दु 1 से 10 पूर्णतः सत्य एवं सही हैं। इसमें लिखी किसी बात में कुछ भी असत्य नहीं हैं और न ही सत्य को छिपाया गया है।

अभिसाक्षी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **शुभाशीष बैनर्जी**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2022

क्र. एफ-03-112-2021-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ-03-112-2021-अठारह-5, दिनांक 15 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 15th July 2022

NOTICE

No. F-3-112/2021/18-5 The following draft of amendments in the Madhya Pradesh BhumiVikasNiyam, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 87 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram NiveshAdhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published, as required bysub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons, likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any persons, with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OFAMENDMENT

In the said rules,-

1. Afterrule 12, the following rule shall be inserted, namely:

"12 A. For residential plots up to 105 sqm, instant/deemed approval shall be issued on following conditions.-

- (1) The applicant shall have to submit the application in the prescribed form in Appendix-A-2(2) and affidavit in Appendix-A-2(3) for instant/deemed building approval.
- (2) This instant/deemed approval shall be applicable for the layout approved from Town and Country Planning Department and development permission issued by Urban Local Bodies.

- (3) Only individual plot holder shall be eligible for application of instant/deemed approval. Such permission cannot be issued to the colonizers who intend to sell the plot/flats/building.
- (4) Proposed Building Plan should be as per the provisions of the Rules and the approved development plan of the city.
- (5) Building Plan enclosed by the applicant should be in accordance with Rule-26.
- (6) The applicant shall indemnify the concerned local body for the damage to structural safety and any other damages caused by the construction/erection of building.
- (7) The application fee shall be paid by the applicant as per the fee prescribed in Rule 21 and development fees which is applicable by competent authority.
- (8) The period of instant/deemed approval shall be as per Rule-23.
- (9) After the completion of the construction by the applicant written information shall have to be given regarding the completion of the work under Rule-31(f).
- (10) No inspection/document verification will be done by the local body at the time of receiving the fee. But incomplete documents or any other information can be obtained later if necessary.
- (11) The submission of application form, and affidavit as per the Appendix A-2(2)and Appendix A-2(3)with fees, shall be a deemed sanction, itself.
- (12) If the Building Plan or construction work is not done according to the provisions of the Rules or the development plan, the instant/deemed building approval granted shall automatically stand cancelled and action shall be taken to remove the illegal construction.

After Appendix A-2(1), the followingAppendixes shall be inserted, namely:-

"APPENDIX A-2(2) (see rule 12-A)

Application-cum-Self Declaration for Instant/Deemed Building Sanction (For the Plots upto105 Sqm.)

To,		
	Local Authority, (Name and Address)	

Sir,		
	I intend to erect or re-erect or to situated on Plot No. or K square meters situate	Thasra No having area d in Colony or
	alla or Bazar Village	
	District for the purpose	
	rdance with the Rule 12-A of th	
	s, 2012, I submit the following the state of the bare	
	ifications in quadruplicate (in hard	
	and (Name in Block letters) the A gineer or Supervisor holding l	
		icense no who win
supe	rvise its erection.	
1.	Key Plan	İ
2.	Site Plans	L
3.	Sub Division/Layout Plan	L
4.	Building Plans	
5.	Service Plans	
6.	Specification, General and detaile	ed
7.	Documents showing proof of	
	ownership or of any legal right in	
	Relation to the site	
8.	Copy of receipt of application fee	
9.	Proof of the applicant having:	
	been authorized by the owner to	
	submit along with this application	n
	(where the applicant is different	
	from the owner)	
10	Parking plans along with	* CONTRACTOR CONTRACTOR
10.	parking calculations	22222

11. Affiday	<i>r</i> i t			i			
12. Electro	onic copy of ite	m		:			
numbe	er 1 to 11						
(a) I	hereby declare	e that	this	permissio	n is being	taken	for
CC	onstruction of r	resider	ntial bu	uilding on	own plot.		
(b) I	hereby declar	re tha	at the	informat	ion and o	docume	nts
pr	ovided by me a	are co	rrect to	the best	of my knov	vledge a	ınd
if	found incorre	ct, m	y insta	int/Deem	ed building	g appro	val
wi	ill automaticall	y stan	d canc	elled.			
	request that						
	proved and po	ermiss	sion a	ecorded to	me to ex	ecute t	he
, WO	ork.						
Signature of	the applicant		i .				
Name of the a	applicant	:					
Address of th	e applicant						
E-mail ID	,	:					
Phone No.		:					
Date		:					

Appendix A-2(3) [see rule 12(A)]

Affidavit

(To be su	bmitted to th	e building	owner for	instar	nt/deemed	building
	approval for	residential	buildings	upto	105 sqm)	

	8 - Pto 100 Sqiii)
	I/We (Plot Owner) certify as follows:-
1.	That, I/We, Plot No
2.	That, I/we have engaged/authorized M/s License No
3.	That, construction shall be carried out on the proposed site

- 3. That, construction shall be carried out on the proposed site according to the building plan approved by the Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council of No construction at the site shall be carried out contravention of or in addition to the approved building plan. Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council shall be free to take action if any construction work is found in contravention of or in addition of sanctioned plan.
- 4. That, in case the facts given in the application submitted for instant/deemed permission have been misrepresented or substantially misrepresented, or the conditions imposed under the permission have been violated, or the provisions of the Act and the rules, made thereunder have been violated or provisions of Madhya Pradesh BhumiVikasNiyam, 2012 have not been followed, the above permission shall be considered cancelled automatically. The urban local authority shall have full authority to take penal/legal action against the applicant.
- 5. That, the conditions mentioned in the building permission letter shall be followed by me/us, and intimation about start of work shall be given as per the provisions of the Madhya Pradesh BhumiVikasNiyam, 2012 and thereafter use of the building shall be made after issue of the completion and occupancy certificate.

- 6. That, the application has been submitted for self residence.
- 7. That. in compliance of Rule 12-A for anv kind alteration/internal alteration/change, approval from the Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council shall be again necessary and the period of approval shall be as per Rule 23.
- 8. That, in case of any difference in calculation of charges, the amount of difference shall be required to be deposited by the applicant.
- 9. That, if permission or no-objection is required to be obtained from any other department, then it shall be the responsibility of the applicant to obtain the desired permission. The department shall not be responsible for this.
- 10. That, in case of violation of the above conditions, the facts shown in the application are found to be incorrect, dispute regarding the land-owner or any discrepancy from any other department, this permission shall stand cancelled automatically.

Deponent

Verification

I, the above named deponent verify that the information contained in the above point 1 to 10 is completely true and correct. There is neither any falsehood in anything written nor truth concealed in it.

Deponent.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2022

क्रमांक— 1442 / मप्रविनिआ / 2022, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (यघ) तथा (यझ) के साथ पठित धारा 61(ज) तथा धारा 86(1)(ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद ्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिंड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, 2022 {आरजी–39(I), वर्ष 2022}

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रांरमः—(1) ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिंड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, 2022 कहलायेंगे । {आरजी—39(I), वर्ष 2022}
- (2) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।
- (3) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं:--
- (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, (2003 का 36);
 - (ख) "अनुबन्ध/करार" से अभिप्रेत हैं, कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) अथवा उपभोक्ता के मध्य निष्पादित अनुबन्ध/करार;
 - (ग) **'बिलिंग चक्र'** से अभिप्रेत है, वह कालावधि जिसके लिए देयक प्रस्तुत किये जाते हैं ;
 - (घ) **''बिलिंग कालावधि''** से अभिप्रेत है, वह कालावधि जिसके लिए आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नियमित विद्युत देयक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए तैयार किये जाते हैं ;
 - (ङ) "आयोग" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;
 - (च) **''उपमोक्ता''** से अभिप्रेत हैं, एक उपभोक्ता जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है :
 - (छ) 'संविदा मांग'' या 'स्वीकृत भार '' से अभिप्रेत है, यथास्थिति किलोवाट ('KW'), किलोवाट एम्पीयर ('KVA'), अथवा अश्वशक्ति या हार्स पावर ('HP'), में उच्चतम भार (लोड) जिसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किये

जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है जैसा कि इसका उल्लेख उपभोक्ता द्वारा संविदाकृत अनुबन्ध / करार में किया गया है ;

- (ज) "वितरण अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है, कोई अनुज्ञप्तिधारी जिसे उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति हेतु विद्युत वितरण प्रणाली को संचालित तथा संधारण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है;
- (झ) **"विद्युत प्रदाय संहिता"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 तथा उसके पश्चातुवर्ती संशोधन ;
- (ञ) "पात्र उपमोक्ता" से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में विद्युत का कोई उपभोक्ता जो अपने स्वयं के पिरेसर में उसकी स्वयं की विद्युत आवश्यकताओं का उपयोग समस्त या आंशिक या निरंक भाग का समायोजन (ऑफसेट) करने का इच्छुक हो जिसके अनुसार ऐसी प्रणालियां उपभोक्ता हेतु स्व—स्वामित्वयुक्त या तृतीय—पक्षकार पट्टायुक्त हो सकती हैं;
- (ट) "वित्तीय वर्ष" या "वर्ष" से अभिप्रेत है, अंग्रेजी कैलेण्डर वर्ष के अनुसार अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर आगामी वर्ष के इकतीस मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि ;
- (ठ) "सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग)" से अभिप्रेत है, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अन्तर्गत उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में स्थापित की गई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली द्वारा उत्पादित समस्त ऊर्जा को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय कर लिया जाता है तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी उसकी खपत हेतु उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को अनुमोदित खुदरा आपूर्ति विद्युत—दर (रिटेल सप्लाई टैरिफ) पर किये गये बिल को उसके द्वारा कुल उत्पादित विद्युत हेतु प्राप्त की गई विद्युत—दर पर उसका आकलन (क्रेडिट) प्रदान करने के पश्चात विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार देयक (बिल) प्रस्तुत करता है ;
- (ड) **'शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग) व्यवस्था हेतु अन्तर्सयोजन बिन्दु'** से अभिप्रेत है, उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में मापयन्त्र के निर्गामी छोर (आउटगोइंग टर्मिनल) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन प्रणाली का अन्तर्सयोजन :

परन्तु यह कि यदि उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) उच्च दाब स्तर पर संयोजित हो तो अन्तर्सयोजन बिन्दु का अभिप्राय वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मापन उपकरण के निर्गामी छोर से सहयोजित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से होगा:

(ढ) "सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग) व्यवस्था हेतु अन्तर्सयोजन बिन्दु" से अभिप्रेत है, उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में मापयन्त्र के प्रवेशी छोर (इनकिमंग टर्मिनल) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत प्रणाली का अन्तर्सयोजन :

परन्तु यह कि यदि उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) उच्च दाब स्तर पर संयोजित हो तो अन्तर्संयोजन बिन्दु का अभिप्राय वितरण अनुज्ञिष्तिधारी के मापन उपकरण के प्रवेशी छोर से सहयोजित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से होगा ;

- (ण) "बीजक" से अभिप्रेत हैं, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए मासिक देयक/पूरक देयक या मासिक बीजक/पूरक बीजक;
- (त) "केंडब्ल्यूपी" से अभिप्रेत है, किलोवाट पीक (शीर्ष) ;
- (थ) "शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग)" से अभिप्रेत है, ऐसी व्यवस्था जिसके अन्तर्गत प्रयोज्य बिलिंग कालावधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में नेट मीटर सहित स्थापित की गई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली द्वारा अधिशेष विद्युत, यदि कोई हो, उसे (ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को) विद्युत प्रदाय के समायोजन पश्चात प्रदान की जाती है;
- (द) "आबंधित इकाई" से अभिप्रेत है, एक ऐसी इकाई जो अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन नवीकरणीय क्रय आबन्धन की पूर्ति के आदेशाधीन है तथा जिसे समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के {ऊर्जा के नवकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह—उत्पादन तथा उत्पादन}(पुनरीक्षण—द्वितीय) विनियम 2021 के अधीन चिन्हांकित किया गया है ;
- (ध) "परिसर" से अभिप्रेत है, कोई भूमि, भवन या संरचना या उसका कोई भाग या कोई संयोजन जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति के मापन हेतु पृथक मापयंत्र (मीटर) या मापन की व्यवस्था की गई है;
- (न) "उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ग्रिड से विद्युत का उपभोग करने के साथ—साथ समान आपूर्ति बिन्दु का उपयोग करते हुए ग्रिड में विद्युत का अन्तःक्षेपण (इन्जेक्ट) भी कर सकता है, जैसा कि शुद्ध मापन या सकल मापन व्यवस्था के प्रकरण में यथास्थिति लागू हो;
- (प) "नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र" से अभिप्रेत है, ऊर्जा मापयन्त्र जिसका उपयोग सकल मापन व्यवस्था में लेखांकन तथा बिलिंग के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली द्वारा उत्पादित ऊर्जा के मापन हेतु किया जाता है;
- (फ) "नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली" से अभिप्रेत है, नवीकरणीय ऊर्जा विद्युतप्रणाली जिसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संचायक (स्टोरेज) के साथ या उसके बगैर भी विद्युत ऊर्जा में रूपान्तरण (कन्वर्शन) हेतु किया जाता है और जिसका उपयोग और / या संचालन ऐसे उत्पादोभोक्ता द्वारा किया जाता है और जिसे उत्पादोभोक्ता के स्वामित्व वाले परिसर में स्थापित किया जाता है;
- (ब) किसी अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में "खुदरा आपूर्ति विद्युत—दर आदेश (रिटेल सप्लाई टैरिफ आर्डर)" से अभिप्रेत है उक्त अनुज्ञप्तिधारी हेतु आयोग द्वारा जारी किया गया नवीनतम आदेश जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत ऊर्जा तथा

सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर प्रभारित की जाने वाली दरों को उपदर्शित करता है ;

- (भ) "संचायक (स्टोरेज)" से अभिप्रेत है ऊर्जा संचायक (स्टोरेज) प्रणाली जिसके अन्तर्गत ठोस अवस्थिति बैटरियों या अन्य किसी प्रौद्योगिकी का उपयोग समकक्ष विधियों तथा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों के संचयन हेतु तथा विद्युत के रूप में संचित ऊर्जा के प्रदाय हेतु किया जाता है; और
- (म) "व्यवस्थापन कालाविध" से अभिप्रेत ऐसी कालाविध से है जिसके समापन पर यथास्थिति शुद्ध आकलित (नेट क्रेडिटेड) यूनिटों या आकलित आगे बढ़ाई गई (कैरीफॉर्वड) राशि का शुद्धमापन या सकल मापन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापन वितरण अनुझिप्तिधारी तथा उत्पादोभोक्ता के मध्य घटित होता है जो सामान्यतः अंग्रेजी कैलेण्डर वर्ष के अनुसार अक्टूबर माह के प्रथम दिवस से प्रारंभ होती है और अगले वर्ष के सितम्बर माह के तीसवे दिवस को समाप्त होती है।

प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ रखेंगी जैसा कि अधिनियम में इनके लिए प्रयुक्त हैं। इन विनियमों तथा अधिनियम में किसी प्रकार की विसंगति होने की दशा में, इनके लिए अधिनियम में नियत किये गये अर्थ ही प्रचलित होंगे।

3. विस्तार तथा प्रयोज्यता :-

- 1. ये विनियम निम्न प्रयोजनों हेत् लागू होंगे :
 - (क) शुद्ध मापन व्यवस्थाएं
 - (ख) सकल मापन व्यवस्थाएं
- 2. ये विनियम समस्त ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों पर लागू होंगे :

परन्तु यह कि विद्यमान उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) जो पूर्व ही से शुद्ध मापन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके द्वारा 500 किलोवाट से अधिक क्षमता की स्थापना की गई है, वे इन विनियमों के अन्तर्गत शुद्ध मापन सुविधा का लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे।

4. शुद्ध मापन व्यवस्थाओं तथा सकल मापन व्यवस्थाओं की सामान्य शर्ते :--

पात्रता रखने वाले उपभोक्ता जो किसी वितरण अनुज्ञिप्तिधारी के नेटवर्क से संयोजित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित करने के इच्छुक हों उन्हें यथास्थिति शुद्ध मापन व्यवस्था या सकल मापन व्यवस्था, ऐसे वितरण अनुज्ञिप्तिधारी द्वारा बिना किसी भेदभाव के वितरण ट्रांसफार्मरवार 'प्रथम आएं प्रथम पाएं' आधार पर अनुमति प्रदान की जा सकेगी: परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तन्त्र (नेटवर्क) के ऐसी प्रणाली के साथ अन्तर्सयोजन को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों के संयोजन हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2013 या फिर जैसा कि भविष्य में विनिर्दिष्ट किया जाए के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

- 2. समस्त श्रेणियों के पात्र उपभोक्ता शुद्ध मापन व्यवस्था के अधीन 500 किलोवाट क्षमता तक की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित कर सकेगें।
- 3. समस्त श्रेणियों के पात्र उपभोक्ता सकल मापन व्यवस्था के अधीन अधिकतम एक मेगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित कर सकेगें।
- उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) एक परिसर के भीतर इन विनियमों के अधीन या तो शुद्ध मापन व्यवस्था अथवा सकल मापन व्यवस्था की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेगा।
- 5. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का न्यूनतम आकार जिसकी स्थापना शुद्ध मापन व्यवस्था तथा सकल मापन व्यवस्था के अधीन की जा सकती है, एक किलोबाट होगा।
- 6. पात्र उपभोक्ता के परिसर में स्थापित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की क्षमता, यथास्थिति, उपभोक्ता की संविदा मांग (मांग आधारित विद्युत—दर के प्रकरण में) या स्वीकृत भार (स्वीकृत भार विद्युत—दर के प्रकरण में) से अधिक न होगी।
- 7. पात्र उपभोक्ता जिनके विरूद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देय बकाया राशि का भुगतान लिम्बत है, को इन विनियमों के अधीन शुद्ध मापन व्यवस्था या मापन व्यवस्था की सुविधा की पात्रता नहीं होगी।
- 8. ऐसे पात्र उपभोक्ता जो इन विनियमों के अधीन शुद्ध मापन व्यवस्था अथवा सकल मापन व्यवस्था धारित करते हों, को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2021 तथा समय—समय पर जारी होने वाले अनुवर्ती संशोधनों के अधीन खुली पहुँच की सुविधा का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
- 9. तृतीय-पक्ष विक्रय की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता :--

वितरण अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति, शुद्ध मापन अथवा सकल मापन व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को संयोजित किये जाने के बारे में वितरण ट्रांसफार्मर स्तर की क्षमता को वार्षिक आधार पर अद्यतन करेगा तथा यह जानकारी अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध करायेगा जैसा कि इसे अनुलग्नक—3 के अधीन प्रारुप में विनिर्दिष्ट किया गया है:

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के किसी विशिष्ट ट्रांसफार्मर पर स्थापित संचयी क्षमता वितरण ट्रांसफार्मर की निर्धारित क्षमता के 70 प्रतिशत से अधिक न होगी:

परन्तु यह और भी कि उच्च दाब (HT)/अति उच्च दाब (EHT) उपभोक्ता के प्रकरण में शुद्ध मापन अथवा सकल मापन व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापित क्षमता ऐसे उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति का प्रबन्धन करने वाले वितरण/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के ट्रांसफार्मर की निर्धारित क्षमता के 70 प्रतिशत से अधिक न होगी।

ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन :-

- 1. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का उसके तन्त्र (नेटवर्क) से अन्तर्सयोजन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2013, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिंड संहिता 2019 (द्वितीय पुनरीक्षण) या फिर जैसा कि भविष्य में इस बारे में निर्दिष्ट किया जाए, में दर्शायी गयी विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशन्स), मानकों तथा अन्य प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
- उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की स्थापना करता है, मापन व्यवस्था तक इस प्रणाली के सुरक्षित परिचालन, संधारण तथा किसी त्रुटि में सुधार के लिये उत्तरदायी होगा तथा इसके परे प्रणाली के सुरक्षित परिचालन, संधारण तथा किसी त्रुटि में सुधार के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी होगा।
- 3. वितरण अनुज्ञिप्तिधारी को किसी दुर्घटना या क्षिति की रोकथाम हेतु उसकी वितरण प्रणाली को ऐसी किसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीसे आशंका / क्षिति की संभावना पाये जाने पर किसी भी समय बिना कोई सूचना दिये इसे विच्छेदित करने का अधिकार होगा। वितरण अधिकारी द्वारा उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को युक्तिसंगत समय के भीतर त्रुटि में सुधार के लिये बुलाया जा सकेगा।
- 4. नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीकिसी अनिभप्रेत द्वीपीय परिस्थिति (अनइन्टेंडिड आइलैण्डिंग कंडीशन) को समझने में सक्षम होना चाहिए। विद्युत अपूर्ति व्यवस्था या ग्रिड के विफल हो जाने पर ग्रिड में किसी प्रकार के पोषण (फीडिंग) की रोकथाम हेतु प्रणाली द्वारा द्वीपीय रोधी संरक्षण व्यवस्था धारित की जानी चाहिए। ग्रिड संयोजित प्रतीपकों (इन्वर्टर्स) के बारे में द्वीपीय रोकथाम उपाय के परीक्षण हेतु IEC/IEEE के प्रयोज्य तकनीकी मानकों का अनुसरण करना होगा।
- 5. उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) बैटरी समर्थक (बैकअप) के साथ या उसके बगैर भी ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना कर सकेगा :

परन्तु यह कि यदि उत्पादोभोक्ता संचायक (स्टोरेज) हेतु संयोजन के लिये विकल्प का चयन करता हो तो प्रतीपक (इन्वर्टर) में ग्रिड विद्युत प्रदाय के अभाव में ग्रिड के भीतर विद्युत प्रवाह की रोकथाम हेतु उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी तथा यह भी कि उसे एक स्वचालित व्यवस्था के साथ—साथ हस्तचालित वियोजन स्विच (मैनुअल आइसोलेशन स्विच) भी उपलब्ध कराना होगा।

- 6. प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को, एक स्वचालित समक्रमिक यन्त्र (ऑटोमेटिक) सिंक्रोनाइजेशन डिवाइस) के साथ सज्जित किया जाएगा।
- 7. वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में ऊर्जा के अन्तःक्षेपण से पूर्व प्रतीपकों द्वारा हार्मोनिक्स तथा अन्य विकृतियों के निस्यन्दन (फिल्ट्रेशन) की विशिष्टताएं धारित की जाएंगी। कुल वोल्टेज हार्मोनिक विकृति, अर्थात्, टोटल वोल्टेज हार्मोनिक (डिस्टॉरशन) (THD) भारतीय विद्युत ग्रिंड संहिता (IEGC)/IEEE तकनीकी मानकों में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर रखी जाएगी।

7. ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन:--

7क. शुद्ध मापन व्यवस्था (नेट मीटरिंग अरेंजमेंट) :--

- 1. वितरण अनुज्ञप्तिधारी समस्त उत्पादोभोक्ताओं (प्रोज्यूमर्स) को नियमित बिलिंग चक्र के अनुसार द्वि—दिशात्मक मापयन्त्र वाचन का दायित्व वहन करेगा।
- 2. वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक बिलिंग अविध हेतु उत्पादोभोक्ता को जारी किये जाने वाले अपने देयक पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायेगा :
 - क. नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा बिलिंग अविध के दौरान ग्रिड में अन्तःक्षेपित की गई विद्युत की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ;
 - ख. बिलिंग अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ;
 - ग. शुद्ध बिल की गई विद्युत की मात्रा ;
 - घ. पिछली बिलिंग अवधि से आगे बढ़ाई गई आधिक्य विद्युत की मात्रा ;
 - ङ. आगामी बिलिंग अवधि हेतु आगे बढ़ाई गई आधिक्य विद्युत की मात्रा ; और
 - च. नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुपालन (आरपीओ कम्पलायंस) हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किये गये यूनिटों की संख्या।
- उ. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्यात की गई ऊर्जा को उत्पादोभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त की गई ऊर्जा खपत के विरुद्ध निम्न रीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा:

- क. यदि बिलिंग अविध के दौरान निर्यात की गई विद्युत यूनिटों की संख्या आयात की गई यूनिट संख्या से अधिक होतो विद्युत की आधिक्य मात्रा को विद्युत की आकलित (क्रेडिट) संख्या के रूप में आगामी बिलिंग अविध हेतू आगे स्थानान्तरित (कैरी फारवर्ड) कर दिया जाएगा;
- ख. यदि किसी बिलिंग अवधि के दौरान उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा आयात की गई विद्युत यूनिटों की संख्या निर्यात की गई यूनिटों की संख्या से अधिक हो तो वितरण अनुज्ञिष्तिधारी आकलित (क्रेडिट) की गई यूनिटों की संख्या का समायोजन करने के पश्चात विद्युत खपत हेतु इसका बीजक (invoice) प्रस्तुत करेगा; और
- ग. ऐसे प्रकरण में जहां उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) समयानुपाती विद्युत—दर (टाइम ऑफ डे टैरिफ) के विस्तार क्षेत्र में हो वहां किसी समय—खण्ड (जैसे कि व्यस्ततम घंटे, अव्यस्ततम घंटे, आदि) में विद्युत उपयोग/खपत को सर्वप्रथम उसी समय—खण्ड के विद्युत उत्पादन के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। किसी बिलिंग चक्र के अन्तर्गत किसी अन्य समयखण्ड में विद्युत खपत से अधिक संचयी विद्युत उत्पादन को इस प्रकार लेखांकित किया जाएगा जैसे कि आधिक्य विद्युत उत्पादन अव्यस्ततम समयखण्ड के दौरान घटित हुआ हो:

परन्तु यह कि विनियम 7(क) के खण्ड 3(क), 3(ख) तथा 3(ग) के अधीन आयातित (इर्म्पोटेड) यूनिटों की संख्या को उपमोक्ता की तत्संबंधी श्रेणी हेतु खुदरा आपूर्ति विद्युत—दर आदेश की यथास्थिति, न्यूनतम ऊर्जा प्रभार मानदण्डों या खपत पर आधारित न्यूनतम प्रभार की तुष्टि करनी होगी, अन्यथा, खुदरा आपूर्ति विद्युत—दर आदेश यथास्थिति न्यूनतम ऊर्जा प्रभार मानदण्ड या खपत पर आधारित न्यूनतम फर्जा प्रभार मानदण्ड या खपत पर आधारित न्यूनतम प्रभार लागू होंगे।

4. व्यवस्थापन अवधि के समापन पर असमायोजित विद्युत की शुद्ध आकलित यूनिट संख्या के प्रति राशि चालू वित्तीय वर्ष में 15 नवम्बर तक पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान मध्यप्रदेश राज्य हेतु यथास्थिति सौर/पवन बोली प्रक्रिया के दौरान पाई गई न्यूनतम टैरिफ दर पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देय होगी। यदि पूर्व वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत कोई भी दर उपलब्ध न हो तो निकटवर्ती उपलब्ध अन्तिम पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान पाई गई न्यूनतम विद्युत—दर (टैरिफ) पर विचार किया जाएगा:

परन्तु यह कि पवन या सौर प्रणाली को छोड़कर अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्रों के प्रकरण में प्रयोज्य दर औसत विद्युत क्रय लागत होगी जैसा कि आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु खुदरा आपूर्ति विद्युत—दर (रिटेल सप्लाई टैरिफ) आदेश में ऐसी अवधि हेतु अवधारित की जाए : परन्तु आगे यह और भी कि प्रत्येक व्यवस्थापन अवधि के प्रारंभ में आगे बढ़ाई गई अन्तःक्षेपित विद्युत की संचयी यात्रा को शून्य पर पुनर्स्थापित किया जाएगा।

- 5. ऐसे प्रकरणों में जहां खुदरा आपूर्ति विद्युत—दर आदेश में स्थाई प्रभारों की गणना खपत किये गये यूनिटों की मात्रा के आधार पर की जाती है वहां स्थाई प्रभारों की गणना ग्रिड से आयात की गई विद्युत यूनिटों की संख्या के आधार पर की जाएगी।
- 6. वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता विद्युत—दर (टैरिफ) के अतिरिक्त आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये अन्य प्रभारों के साथ—साथ शासन द्वारा अधिरोपित अन्य कोई कर/शुल्क (डयूटी)/उपकर (सेस) शुद्ध बिल किये गये यूनिटों पर आधारित बीजक (invoice) प्रस्तुत करने की पात्रता होगी।
- 7. उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) जिसकी अनुज्ञप्तिधारियों के उपभोक्ता के रूप में पात्रता समाप्त हो चुकी हो या फिर वह अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि के भुगतान का निपटान न कर रहा हो, को समायोजन/आकलन (क्रेडिट) के विरुद्ध देय राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी जब तक वह पूर्व में देय राशियों तथा अन्य प्रयोज्य राशियों की अदायगी न कर दे।
- 8. बिलिंग के बारे में किसी विवाद के प्रकरण में, इसका निपटान समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय), विनियम, 2021 के उपबन्धों के अधीन किया जाएगा।
- 9. शुद्ध मापन व्यवस्था के अन्तर्गत ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन का निदर्शी उदाहरण अनुलग्नक—1 में दर्शाया गया है।

7ख सकल मापन व्यवस्था (ग्रास मीटरिंग अरेंजमेंट)

- 1. वितरण अनुज्ञप्तिधारी समस्त उत्पादोभोक्ताओं (प्रोज्यूमर्स) हेतु नियमित बिलिंग चक्र के अनुसार दोनो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र तथा उपभोक्ता मापयन्त्र का वाचन (मीटर रीडिंग) प्राप्त करेगा।
- 2. वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक बिलिंग अविध हेतु उत्पादोभोक्ता को जारी किये जाने वाले अपने देयक पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायेगा :
 - (क) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयंत्र में अभिलेखित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ;
 - (ख) बिलिंग अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से उपभोक्ता द्वारा खपत की गई विद्युत यूनिटों की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ;

- (ग) बिलिंग अवधि के दौरान बिलिंग आकलन (क्रेडिट) की राशि, यदि कोई हो प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ; और
- (घ) नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुपालन (RPO Compliance) हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किये गये नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से प्राप्त यूनिटों की संख्या।
- 3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत का क्रय पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान मध्यप्रदेश राज्य हेतु यथास्थिति, सौर/पवन बोली प्रक्रिया के दौरान पाई गई न्यूनतम दर पर किया जाएगा। यदि पूर्व वित्तीय वर्ष में कोई भी दर उपलब्ध न हो तो निकटतम अन्तिम पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान पाई गई न्यूनतम विद्युत—दर (टैरिफ) पर विचार किया जाएगा:

परन्तु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्रों के प्रकरण में पवन तथा सौर प्रणाली को छोड़कर यह दर प्रयोज्य औसत विद्युत क्रय लागत होगी जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए आयोग द्वारा उक्त अविध के लिये खुदरा आपूर्ति विद्युत—दर (रिटेल सप्लाई टैरिफ) आदेश के अन्तर्गत अवधारित किया जाए।

4. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिलिंग अविध के दौरान ऊर्जा आपूर्ति की बिलिंग तत्संबंधी श्रेणी के उपभोक्ता हेतु विद्युत—दर अनुसूची (टैरिफ) तथा खुदरा आपूर्ति विद्युत—दर (रिटेल सप्लाई टैरिफ) आदेश सहपिठत समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार की जाएगी:

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये कोई अन्य प्रभारों तथा शासन द्वारा अधिरोपित किये गये किसी अन्य कर/शुल्क (ड्यूटी)/उपकर (सेस) हेतु बीजक (invoice) प्रस्तुत करने की भी पात्रता होगी।

5. अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक बिलिंग अवधि हेतु शुद्ध देयक (नेट बिल) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियम 7ख(3) के अनुसार तथा उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा उपरोक्त विनियम 7 ख(4) के अनुसार देय राशि को सिम्मिलित करते हुए तैयार करेगा:

परन्तु यह कि यदि बिलिंग अविध हेतु शुद्ध देयक राशि उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा देय हो तो उत्पादोभोक्ता द्वारा इसका भुगतान देयक की निर्धारित तिथि के भीतर किया जाएगा:

परन्तु आगे यह और भी कि यदि बिलिंग अवधि हेतु शुद्ध देयक राशि का भुगतान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाना हो तो इसे अगली बिलिंग अवधि हेतु आकलित (क्रेडिटेड) राशि के रूप में आगे बढ़ाया (carry forward) जाएगा। इस प्रकार की आकलित (क्रेडिटेड) की गई आगे बढ़ाई गई (carry forward) राशि पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ब्याज राशि का भुगतान देय न होगा।

- 6. प्रत्येक व्यवस्थापन अवधि के अन्त में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय आकलित (क्रेडिटेड) आगे बढ़ाई गई राशि का भुगतान उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अन्तिम रूप से 15 नवम्बर तक करना होगा।
- 7. उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) जिसकी अनुज्ञप्तिधारियों के उपभोक्ता के रूप में पात्रता समाप्त हो चुकी हो या फिर वह अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि के भुगतान का निपटान न कर रहा हो, को समायोजन/आकलन (क्रेडिट) के विरूद्ध देय राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी जब तक वह पूर्व में देय राशियों तथा अन्य प्रयोज्य राशियों की अदायगी न कर दे।
- 8. बिलिंग के बारे में किसी विवाद के प्रकरण में, इसका निपटान समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय), विनियम, 2021 के उपबन्धों के अधीन किया जाएगा।

8. नवीकरणीय क्रय आबन्धन :--

शुद्ध मापन अथवा सकल मापन व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा अन्तःक्षेपित की गई ऊर्जा की मात्रा को वितरण अनुज्ञिप्तिधारी के संबंध में नवीकरणीय क्रय आबन्धन (RPO) के अनुपालन हेतु अर्हता होगी।

9. अन्य प्रमारों की प्रयोज्यता :--

यथास्थिति शुद्ध या सकल मापन व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, भले ही वह स्वयं के स्वामित्व वाली या फिर तृतीय पक्षके स्वामित्व वाली हो तथा जिसे उत्पादोभोक्ता के परिसर में संस्थापित किया गया हो, को बैंकिंग प्रभार, चक्रण प्रभार तथा प्रतिसहायतानुदान (क्रास सब्सिडी) अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार से छूट प्रदान की जाएगी।

10. मापन व्यवस्था :--

1. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली, के समस्त मापयन्त्रों की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मापयंत्रों की स्थापना तथा संचालन) विनियम, 2006 तथा पश्चातवर्ती संशोधनों का अनुपालन करना होगा। समस्त मापयंत्रों द्वारा प्रगत मापन अधोसंरचना (Advanced Metering Infrastructure-AMI) सुविधा मय RS485 (या उच्चतर श्रेणी) के संचार पोर्ट या अन्य कोई प्रगत संचार सुविधा धारित की जाएगी।

- 2. शुद्ध मापन अथवा सकल मापन व्यवस्था में आवश्यकतानुसार एकल फेज या तीन—फेज मापयन्त्र को सम्मिलित किया जाएगा जिसकी स्थापना उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर के भीतर वितरण प्रणाली से अन्तःसंयोजन के बिन्दु पर की जाएगी।
- 3. शुद्ध मापन व्यवस्था के प्रकरण में उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में विद्यमान मापयन्त्र को समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के उपबन्धों के अनुसार द्वि—दिशात्मक (bi-directional) मापयन्त्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसकी लागत उत्पादोभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।
- 4. सकल मापन व्यवस्था के प्रकरण में, उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में विद्यमान उपभोक्ता मापयन्त्र की स्थापना की व्यवस्था को ग्रिड से आयात किये गये यूनिटों की संख्या के लेखांकन तथा व्यवस्थापन हेतु जारी रखा जाएगा।
- 5. यदि उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) समयानुपाती विद्युत—दर (टाईम ऑफ डे—TOD Tariff) के विस्तार—क्षेत्र (ambit) में अवस्थित हो तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र तथा स्थापित किया गया उपभोक्ता मापयन्त्र अथवा द्वि—दिशात्मक मापयन्त्र (यथास्थिति) क्रमशः समयानुपाती उत्पादन (TOD generation) तथा खपत के अभिलेखन हेतु सक्षम होगा।
- 6. वितरण अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्र उपकरण के परीक्षण, स्थापना तथा अनुरक्षण के साथ—साथ प्रयोज्य मानकों तथा विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशन्स) के अनुपालन हेतु भी उत्तरदायी होगा।
- 7. उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को प्रयोज्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों के अनुरूप स्वयं के व्यय पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र अधिप्राप्त करना होगा।
- 8. द्वि—दिशात्मक मापयन्त्र या उपभोक्ता मापयन्त्र (सकल मापयन्त्र व्यवस्था के प्रकरण में) तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र की स्थापना परिसर के भीतर प्रवेशद्वार ही के समीप की जाएगी ताकि मापयन्त्र वाचक (मीटर रीडर) की इस तक व्यावहारिक सूगम पहुंच संभव हो सके।
- 9. संस्थापित मापयंत्रों को दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त रूप से निरीक्षण तथा मुद्रांकित (सील) किया जाएगा तथा इनका परीक्षण तथा जांच उत्पादोभोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही की जाएगी। यदि उत्पादोभोक्ता परीक्षण के समय उपस्थित रहने का इच्छुक हो तो उसे विधिवत सूचना के माध्यम से अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा।

11. आवेदन को प्रक्रियाबद्ध करना तथा आवेदन शुल्क :--

वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादोभोक्ताओं (प्रोज्यूमरों) के परिसर में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन प्रणाली की स्थापना हेतु प्रक्रिया को सुगम बनायेगा। इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी—

- (क) उत्पादोभोक्ताओं से उनके परिसर में वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों या यन्त्रों का संस्थापन अन्तर्संयोजन तथा मापन के लिये आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल का सृजन करेगा तथा नियमित आधार पर इसे अद्यतन करेगा।
- (ख) अपनी वेबसाइट पर प्रमुख रूप से और अपने समस्त कार्यालयों में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करेगा, अर्थात् :--
 - (एक) नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना तथा उसे क्रियाशील करने हेतु विस्तृत मानकीकृत प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक विवरण ;
 - (दो) नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर इसे क्रियाशील किये जाने तक उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिये 'सम्पर्क' का कोई एकल बिन्दु ;
 - (तीन) उन कार्यालयों का पता तथा दूरभाष संख्या जहां भरे गये आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किया जा सकता है ;
 - (चार) ऐसे आवेदनों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपन्नों की पूर्ण सूची ;
 - (पांच) आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले लागू प्रभार ;
 - (छः) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली संस्थापित करने के इच्छुक उपभोक्ताओं के लाभ के लिये पैनलबद्ध सेवा प्रदाताओं की सूची; और
 - (सात) उपभोक्ताओं को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की विभिन्न परियोजनाओं / स्कीमों तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत यथालागू वित्तीय प्रोत्साहन।
- (ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रपत्र (फार्म) को अपनी वेबसाइट तथा अपने स्थानीय कार्यालयों पर हार्ड कॉपी के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।
- (घ) पिरसर का उपभोक्ता अपनी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से संयोजन हेतु इस विनियम के साथ संलग्न अनुलग्नक—2 के अनुसार निर्दिष्ट प्रपत्र में मय रू. 1000 (रूपये एक हजार मात्र) के पंजीकरण (रिजस्ट्रीकरण) शुल्क के संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा।
- (ङ) यदि आवेदन को हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया जाता है तो इसकी प्राप्ति के पश्चात उक्त आवेदन हेतु पंजीकरण संख्या प्रदान की जाकर पावती की सूचना तत्काल आवेदक को प्रेषित की जाएगी। हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर तत्काल इसको स्कैन किया जाएगा तथा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यदि आवेदन पत्र को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन

प्राप्त किया जाता है तो आवेदक के प्रस्तुतिकरण के बाद पंजीकरण (रिजस्ट्रीकरण) संख्या और पावती का सृजन किया जाएगा। किसी आवेदन को पावती के साथ पंजीकरण संख्या के सृजन की तिथि को आवेदन प्राप्ति की तिथी समझा जाएगा। आवेदन के विभिन्न चरणों जैसे कि आवेदन की प्राप्ति स्थल निरीक्षण, मापयंत्र संस्थापन और क्रियाशील होने की स्थिति के अनुश्रवण के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वेब—आधारित अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से विशिष्ट पंजीकरण संख्या आधारित आवेदन खोजबीन (ट्रेकिंग) तन्त्र उपलब्ध कराया जाएगा।

- (च) अनुज्ञप्तिधारी 20 दिवस के भीतर तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पूर्ण करेगा तथा आवेदक को यथास्थिति ई—मेल/एसएमएस/डाक के माध्यम से आवेदन को स्वीकृत/निरस्त करने बाबत, मय प्राक्किलत राशि जमा करने तथा उपभोक्ता द्वारा निष्पादित किये जाने वाले करार/अनुबन्ध की प्रति के साथ संसूचित करेगा।
- (छ) भुगतान की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवेदन का अनुमोदन करेगा तथा आवेदक को इसकी सूचना अनुमोदन पत्र (Letter of Approval-LOA) द्वारा ई—मेल/एसएमएस/डाक के माध्यम से आवेदन की पावती जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर प्रदान करेगा।
- (ज) तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन से कार्य पूर्ण होने तक की समयावधि के दौरान यदि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की अपेक्षित क्षमता की स्थापना हेतु किसी वितरण अधोसंरचना स्तरोन्नयन जैसे सेवा लाइन में विस्तार, वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता का आवर्धन इत्यादि किये जाने की आवश्यकता हो तो इसका क्रियान्वयन यथास्थिति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 तथा पश्चात्वर्ती संशोधनों तथा पुनरीक्षण के अनुसार किया जायेगा।
- (झ) नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के संस्थापन पश्चात उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को स्थापना प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी स्थापना प्रमाण—पत्र के प्रस्तुतिकरण की तिथि से तीस दिवस के भीतर संयोजन करार/अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने, मापयंत्र (मीटर) की स्थापना करने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको सफलतापूर्वक क्रियाशील करने संबंधी कार्रवाई करेगा। इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने से तीस दिवस के भीतर संविदा करार/अनुबन्ध और स्थापना प्रमाण—पत्र के प्ररूपों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ञ) उत्पादोभोक्ता के पास अपेक्षित मापयंत्र (मीटर) को स्वयं क्रय करने का विकल्प होगा जिसका परीक्षण तथा संस्थापन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा।

- (ट) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट उपरोक्त समय—सीमाओं का परिपालन किया जाएगा। विलम्ब की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी विशिष्ट प्रकरणों में, विलम्ब का औचित्य दर्शाते हुए, आयोग से अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (ठ) वितरण अनुज्ञिप्तिधारी की ओर से किसी यथोचित कारण के बिना विलम्ब के प्रकरण में, अनुज्ञिप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को चूक के प्रत्येक दिवस के लिये रू. 500/— (रूपये पांच सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।
- (ड) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादोभोक्ताओं को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं / स्कीमों तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत यथाउपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन अन्तरित करेगा।
- (ढ) किसी बिलिंग के विवाद की स्थिति में उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) संबद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से सम्पर्क कर सकेगा।

12. शास्ति या क्षतिपूर्ति

इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट समयसीमाओं की पूर्ति में विफल हो जाने की दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त विनियम 11(ठ) में विनिर्दिष्ट अनुसार उपभोक्ता को क्षितिपूर्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

13. संयोजन अनुबन्ध / करार

वितरण अनुज्ञप्तिधारीतथा उत्पादोभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण तन्त्र (नेट वर्क) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के संयोजन के अनुमोदन पश्चात परन्तु प्रणाली से वास्तविक उत्पादन प्रारंभ होने से पूर्व यथास्थिति परस्पर शुद्ध मापन संयोजन अनुबन्ध करार या सकल मापन संयोजन अनुबन्ध / करार का निष्पादन करेंगे।

14. दिशा-निर्देश प्रदान करने की शक्ति

आयोग, समय—समय पर ऐसे दिशा—निर्देश तथा आदेश प्रदान कर सकेगा, जैसा कि वह इन विनियमों के कार्यान्वयन हेतु समुचित समझे।

15. छूट प्रदान करने की शक्ति

आयोग, स्वप्रेरणा से या फिर उसके समक्ष इच्छुक पक्षकार द्वारा दायर की गई किसी याचिका पर संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिये किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इन विनियमों के किन्ही उपबंधों को शिथिल कर सकेगा।

16. संशोधन करने की शक्ति

आयोग समय—समय पर इन विनियमों के किन्ही उपबन्धों को जोड़ने, बढ़ाने, बदलने, परिवर्तन करने, निलंबित करने, सुधारने, संशोधित करने अथवा निरसित करने संबंधी कार्यवाही कर सकेगा।

17. निरसन तथा व्यावृत्ति

- 1. विनियम अर्थात् ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिंड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015'' एवं इसके समस्त संशोधनों को एतद् द्वारा अधिक्रमित किया जाता है।
- 2. इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अन्तर्निहित शक्तियों को, ऐसे आदेश जारी करने, जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है, सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा।
- इन विनियमों में कुछ भी आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट पिरिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लिखित कारणों सिहत यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों से अन्यथा हो।
- 4. इन विनियमों में विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग को किसी विषय या विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के अन्तर्गत किसी विषय या अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाया गया है अथवा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों तथा कार्यों का उसी प्रकार से जैसा वह उचित समझे. निवर्तन कर सकेगा।
- 5. इस म. प्र. वि. नि. आयोग (ग्रिंड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, 2022 के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार, गजेन्द्र तिवारी, सचिव.

अनुलग्नक-1

शुद्ध मापन व्यवस्था के अधीन ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन संबंधी उदाहरण निम्नदाब श्रेणी उत्पादोमोक्ता

निम्नांकित उदाहरण में शहरी निम्न दाब घरेलू श्रेणी उत्पादोभोक्ता (Urban LT Domestic Category Prosumer) के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022—23 हेतु खुदरा आपूर्ति विद्युत—दर आदेश (Retail Supply Tariff) की विद्युत—दर अनुसूची (Tariff Schedule) के अनुसार गणना की गई है:

एलवी LV. 1.2

(i) ऊर्जा प्रमार (Energy Charge) तथा स्थाई प्रमार (Fixed charge)—मीटरीकृत संयोजन हेतु

मासिक खपत स्लैब	दूरबीनीय लाभ के साथ	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये)		
(यूनिट)	ऊर्जा प्रमार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	
50 यूनिट तक	421	69 प्रति संयोजन	55 प्रति संयोजन	
51 यूनिट से 150 यूनिट तक	517	121 प्रति संयोजन	98 प्रति संयोजन	
151 यूनिट से 300 यूनिट तक	655	प्रत्येक 0.1 kW(किलोवाट) भार हेतु 26	प्रत्येक 0.1 kW (किलोवाट) भार हेतु 23	
300 यूनिट से अधिक	674	प्रत्येक 0.1 kW (किलोवाट) भार हेतु 27	प्रत्येक 0.1 kW (किलोवाट) भार हेतु 26	

न्यूनतम ऊर्जा प्रमार : उपरोक्त श्रेणियों हेतु ऊर्जा प्रमार रूपये 70 प्रति संयोजन प्रति माह न्यूनतम प्रमारों के रूप में प्रयोज्य है।

टीप :

(1) स्थाई प्रभारों को प्रति माह प्रत्येक 15 यूनिट खपत अथवा इसके किसी खण्ड को 0.1 kW (किलोवाट) भार के समकक्ष हेतु अधिरोपित किया जाएगा। उदाहरण: यदि किसी माह में विद्युत खपत 125 यूनिट हो तो स्थाई प्रभार 0.9 kW (किलोवाट)हेतु अधिरोपित किये जाएंगे। यदि विद्युत खपत 350 यूनिट है तो स्थाई प्रभार 2.4 kW (किलोवाट) हेतु अधिरोपित किये जाएंगे।

अवधारणा (Assumption) :

- 1. स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली : 5 kW (किलोवाट) हेतु
- 2. प्रतिदिवस औसत सौर उत्पादन : 4 यूनिट प्रति kW (किलोवाट)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिंड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम 2022 के विनियम 7 क के अनुसार ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन

क. जहां ग्रिड से विद्युत का आयात नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पादित विद्युत के निर्यात से अधिक है

सरल क्रमांक	देयक पर दर्शाये जाने वाली जानकारी	मूल्य	टिप्पणी
∞ 1.	बिलिंग अवधि के दौरान ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा अन्तःक्षेपित विद्युत की मात्रा	150 यूनिट	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित कुल यूनिट संख्या = 600
2.	बिलिंग अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष को सम्मिलित करते हुए	450 यूनिट	
3.	शुद्ध बिल की गई विद्युत की मात्रा जिस हेतु भुगतान उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा किया जाना अपेक्षित है	300 यूनिट	(2)—(1)—(4) अर्थात् आयात की मात्रा निर्यात से अधिक है तथा पूर्व बिलिंग से आकलित (क्रेडिटेड) यूनिट उपलब्ध नहीं है।
4.	अन्तिम बिलिंग अवधि से आगे बढ़ाई गई (Carry Forward) आधिक्य विद्युत	० यूनिट	
5.	आगामी बिलिंग अवधि को आगे बढ़ाई गई (Carry Forward) आधिक्य विद्युत	० यूनिट	
6.	नवीकरणीय क्रय आबन्धन (RPO) अनुपालन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किये गये नवीकरणीय ऊर्जा यूनिटों की संख्या	१५० यूनिट	विनियम 8 से संरेखित

अतएव

7.	उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा भुगतान किये जाने	स्लैब	दर / पैसे प्रति (यूनिट)	बिल किये गये यूनिटों की संख्या	राशि (रूपये)
	वाले ऊर्जा प्रभार	50 यूनिट तक	421	50	210.50
	(Energy Charges)	51 यूनिट से	517	100	517.00
	1. शुद्ध बिल किये गये यूनिटों पर	150 यूनिट तक			
	विचारयोग्य = 300 युनिट (देखें ऊपर	151 यूनिट से 300 यूनिट	655	150	982.50
	सरल क्रमांक 3)	तक			
	{खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर आदेश के	300 यूनिट से अधिक	674		
	अनुसार आयातित यूनिट न्यूनतम ऊर्जा प्रभार मानदण्डों से	कुल	কর্जা प्र भार (र	जपये)	1710.00

	अधिक हैं}		
8.	उत्पादोभोक्ता	450 यूनिट, प्रत्येक 0.1 KW भार, अर्थात् 3	रू. 810.00
	(प्रोज्यूमर) द्वारा	KW हेर्नु रू. 27 प्रति किलोवाट की दर से	
	भुगतान किये जाने	_	1
ĺ.	वाले स्थाई प्रभार	Y Company	
	(Fixed Charges)		
	{(ग्रिड से आयात		
	किये जाने वाले		
	यूनिटों की संख्या पर		
ŀ	विचार करते हुए =		
	450 यूनिट (उपरोक्त		
1	सरल क्रमांक 2 के		
	अनुसार)}	-	
] "		
9.	उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यमर) को लागू होने वाले अन्य प्रभार (जैसा कि	ন্থ্য. 100.00
	FCA/Tax/Cess आदि)		(मानी गई
		नेट संख्या पर विचार करते हुए = 300 यूनिट	राशि)
1	(उपरोक्त सरल क्रमांक		,
10.		द्वारा देय कुल देयक राशि	ক. 2620.00
	5 3/45 59/45/3 \$15 VIII 6 7	(10=7+8+9)	

ख. जहां नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वाराउत्पादित विद्युत का निर्यात ग्रिड से आयात की गई विद्युत से अधिक है

सरल क्रमांक	देयक पर दर्शाये जाने वाली जानकारी	मूल्य	टिप्पणी
1.	बिलिंग अवधि के दौरान ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा अन्तःक्षेपित विद्युत की मात्रा	४५० यूनिट	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित कुल यूनिट संख्या = 600 यूनिट
2.	बिलिंग अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष को सम्मिलित करते हुए	300 यूनिट	आयातित यूनिट न्यूनतम ऊर्जा प्रभार मानदण्डों से अधिक हैं
3.	शुद्ध बिल की गई विद्युत की मात्रा जिस हेतु भुगतान उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा किया जाना अपेक्षित है	० यूनिट	(2)—(1)—(4) चूंकि निर्यात की मात्रा आयात से अधिक अतएव आधिक्य यूनिटों को अगले बिलिंग चक्र की ओर आगे बढ़ाया (Carry Forward) जाता है
4.	अन्तिम बिलिंग अवधि से आगे बढ़ाई गई (Carry Forward) आधिक्य विद्युत	० यूनिट	
5.	आगामी बिलिंग अवधि को आगे बढ़ाई गई (Carry Forward) आधिक्य विद्युत	150 यूनिट	(1)-(2)-(4)

6.	नवीकरणीय क्रय आबन्धन (RPO) अनुपालन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किये गये नवीकरणीय	450 यूनिट	विनियम 8 से संरेखित
	ऊर्जा यूनिटों की संख्या		

अतएव,

			- 44	T 00.00	
7,	उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर)	स्लेब	दर (पैसे	₹5. 00.00	
	द्वारा देय ऊर्जा प्रभार		प्रति	(चूंकि निर्यात की गई	
7	(Energy Charges)		यूनिट)	यूनिटों की संख्या	
	{शुद्ध बिल किये गये	50 यूनिट तक	421	आयात की गई यनिटों	
	यूनिटों पर विचार करते हुए	51 यूनिट से	517	से अधिक है, अतएव	
	= 0 यूनिट (उपरोक्त			आधिक्य यूनिटों को	
	सरल क्रमांक 3 के	151 यूनिट से	655	अगले बिलिंग चक्र की	
	अनुसार)}(खुदरा आपूर्ति	300 यूनिट तक		ओर बढ़ाया (Carry	
	विद्युत-दर आदेश के	300 यूनिट से	674	Forward) जाएगा)।	
	अनुसार आयातित यूनिट				
	न्यूनतम ऊर्जा प्रभार				
	मानदण्डों से अधिक हैं)				
8.	उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर)	300 युनिट, प्रत्ये	क 0.1 KW	₹5. 520.00	
	द्वारा देय स्थाई प्रभार	भार, अर्थात् 2 ।	८ Wहेत् रू.		
	(Fixed Charges)		ट की दर से		
	{(ग्रिंड से आयात किये	1 - FEDERAL GRANDER TO STREET STREET STREET	01 52 572		
	यूनिटों पर विचार करते	,			
	हुए= 300 यूनिट (उपरोक्त			V	
	सरल क्रमांक 2 के		1		
	अनुसार)}				
	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
9.	उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को लागू होने वाले अन्य प्रमार 0.00				
J.	(जैसा कि FCA/Tax/Cess आदि)				
	{शुद्ध बिल किये गये यूनिट				
	यूनिट (उपरोक्त सरल क्रमाँ				
10.	उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा देय कुल देयक राशि			₹5. 520.00	
10.	(10=7+8+9)			*** *****	
	(10—17 078)				

अनुलग्नक-2

शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग) / सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग) संयोजनहेतु आवेदन का प्ररूप प्रति,

कार्यपालन यंत्री,

वितरण अनुज्ञप्तिधारी (कार्यालय का नाम)

मैं एतद् द्वारा, विद्यमान सेवा संयोजन पर नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी शुद्ध-मापन संयोजन तथा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र हेतु आवेदन कर रहा हू, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

अनुक्रमांक	विवरण	
1	आवेदक का नाम	
2	आवेदक का पता	
3	सेवा संयोजन क्रमांक	
4	दूरभाष / मोबाईल क्रमांक	
5	ई-मेली आई डी	
6	संयंत्र क्षमता (किलोवाट में)	
7	क्या प्रणाली में स्वचालित पृथक्करण सुरक्षा सुविधा उपलब्ध है) (हां / नहीं)	182
8	क्या पृथक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयंत्र संस्थापित किया जा चुका है (हां / नहीं)	
9	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के क्रियाशील होने की संभावित तिथि	
10	संयंत्र के परीक्षण प्रमाण—पत्रों के विवरण	

दिनांक

अभिस्वीकृति

शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग) / सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग) संयोजन हेतु एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ

आवेदक का नाम	:		
सेवा संयोजन क्रमांक			
संयंत्र क्षमता	¢		
आवेदन पंजीकरण क्रमांक	1		36
आवेदन प्राप्त करने की दिनांक	\$		
		2	अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर
			पदनाम
			अनुलग्नक—3
	वितरण ट्रा	सफार्मर क्षमता	
विवरः	ग (वार्षिक आधा	र पर अद्यतन रि	केये जाएं)

दिनांक	की स्थिति में विवरण

ट्रांसफार्मर संकेत (कोड)	ट्रांसफार्मर की अवस्थिति	नेम प्लेट क्षमता (KVA)	पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान व्यस्ततम (पीक) भार KVA	पिछले त्रैमास के दौरान शीर्ष भार (KVA)	संयोजित—नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की संचयी (Cumulative) क्षमता (किलोवाट प्रति केवीए)
		ď.			

Bhopal the 14th July 2022

No. 1442/MPERC /2022 - In exercise of powers conferred under Section 61(h) and Section 86(1)(e) read with sub-section (I) and clause (zd) and (zi) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following Regulations, namely: -

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (GRID INTERACTIVE RENEWABLE ENERGY SYSTEMS AND RELATED MATTERS) REGULATIONS, 2022 {RG- 39(I) of 2022}

- 1. Short title, extent and commencement: (1) These Regulations may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Renewable Energy Systems and Related Matters) Regulations, 2022 {RG-39(I) of 2022}.
- (2) They shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of Madhya Pradesh.

2. Definitions: -

- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires, -
- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003);
- (b) "Agreement" means an agreement entered into by the Distribution Licensee and the prosumer or consumer;
- (c) "Billing cycle" means the period for which bills are raised;
- (d) "Billing period" means the period for which regular electricity bills as specified by the Commission, are prepared for different categories of consumers by the licensee;

- (e) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission constituted under the Act;
- (f) "Consumer" means a consumer as defined in the Act;
- (g) "Contract demand" or "Sanctioned load" means the maximum load in kilowatt ('kW') or kilovolt ampere ('kVA') or Horse Power ('HP'), as the case may be, agreed to be supplied by the Distribution Licensee and contracted by the consumer, mentioned in the agreement;
- (h) "Distribution Licensee" or "Licensee" shall mean a licensee authorized to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply;
- (i) "Electricity Supply Code" means the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021 and subsequent amendments thereof;
- (j) "Eligible Consumer" means a consumer of electricity in the area of supply of the Distribution Licensee, who intends to use a renewable energy system in his premises to offset all or part or no part of the own's electrical requirements, given that such systems can be self-owned or third party leasing such system to the consumer;
- (k) "Financial Year" or "Year" means the period beginning from first day of April as per English calendar year and ending with the thirty first day of the March of the next year;
- (1) "Gross Metering" means an arrangement under which all energy generated by Renewable Energy Generating System installed at prosumer's premises, is purchased by the Distribution Licensee and the Distribution Licensee raises the bills on the prosumer for his consumption at the approved Retail Supply Tariff, after giving credit for total generated electricity at the discovered tariff as per the provisions laid down in these regulations;
- (m) "Interconnection Point for Net Metering Arrangement" means interface of Renewable Energy generating system with the outgoing terminal of the meter in the premises of the prosumer:

Provided that, in case prosumer is connected at the High Tension (HT) level, the "Interconnection Point" shall mean the interface of the Renewable Energy Generating System with the outgoing terminal of the Distribution Licensee's metering equipment.

(n) "Interconnection Point for Gross Metering Arrangement" means the interface of the Renewable Energy Generating System with the incoming terminal of the meter in the

premises of the prosumer:

Provided that, in case prosumer is connected at the High Tension (HT) level, the "Interconnection Point" shall mean the interface of the Renewable Energy Generating System with the incoming terminal of the Distribution Licensee's metering equipment;

- (o) "Invoice" means a Monthly Bill / Supplementary bill or a Monthly invoice/Supplementary invoice raised by the Distribution Licensee;
- (p) "kWp" means kilo Watt peak;
- (q) "Net Metering" means an arrangement under which a Renewable Energy Generating System with Net Meter installed at a prosumer's premises, delivers surplus electricity, if any, to the Distribution Licensee after setting off the quantum of electricity supplied by such Licensee during the applicable Billing Period;
- (r) "Obligated Entity" means the entity mandated under clause (e) of Sub-Section (1) of Section 86 of the Act to fulfill the renewable purchase obligation and which is identified under Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy), (Revision-II) Regulations, 2021 as amended from time to time:
- (s) "Premises" means any land, building or structure or part thereof or combination thereof, wherein a separate meter or metering arrangement has been made by the licensee for measurement of supply of electricity;
- (t) "Prosumer" means a person who consumes electricity from grid and can also inject electricity into the grid for Distribution Licensee, using same point of supply, as applicable in case of net metering or gross metering arrangement;
- (u) "Renewable Energy Generation Meter" means an energy meter used for measuring the energy generated by Renewable Energy generating system for the purpose of accounting and billing for gross metering arrangement;
- (v) "Renewable Energy Generating System" means the Renewable Energy power system that uses Renewable Energy for conversion into electricity with or without energy storage and which is owned and/or operated by such prosumer and which is installed on premises owned by prosumer;

- (w) "Retail Supply Tariff Order" in respect of a Licensee means the most recent order issued by the Commission for that licensee indicating the rates to be charged by the licensee to the various categories of consumers for supply of electrical energy and services;
- (x) 'Storage' means energy storage system utilizing methods and technologies like Solid State Batteries or any other technology, to store various forms of energy and to deliver the stored energy in the form of electricity; and
- (y) "Settlement Period" means the period at the end of which Net Metering or Gross Metering Arrangement's settlement of the net credited units or the credited carried forward amount, as the case may be, between the Distribution Licensee and the prosumer takes place, generally beginning from the first day of October as per English calendar year and ending with the thirtieth day of September of the next year.

Words and expressions which are not defined in these Regulations shall have the same meaning as assigned in the Act. In case of any inconsistency between these Regulations and the Act, the meaning assigned to them in the Act shall prevail.

3. Scope and Application:-

- 1. These Regulations would apply to:
 - (a) Net Metering Arrangements
 - (b) Gross Metering Arrangements
- 2. These Regulations shall be applicable to all Grid Interactive Renewable Energy Generating Systems:

Provided that, existing prosumers who are already availing the facility of Net Metering and have installed capacity above 500 kW shall continue to get the benefit of net metering facility under these Regulations.

4. General Conditions of Net Metering Arrangements and Gross Metering Arrangements:-

 Net Metering Arrangement or Gross Metering Arrangement, as the case may be, shall be permitted by the Distribution Licensee on a non-discriminatory and distribution Transformer-wise 'first come, first serve' basis to the Eligible Consumers who intend to install a Renewable Energy Generating System connected to the Network of such Distribution Licensee:

Provided that the inter-connection of such system with the network of the Distribution Licensee shall be undertaken in accordance with the standards and norms specified in the Central Electricity Authority (CEA) (Technical Standard for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 or as may be specified in future.

- The Eligible Consumer of all categories may install the Renewable Energy Generating System under the Net Metering Arrangement up to 500 kW capacity.
- 3. The Eligible Consumer of all categories may install the Renewable Energy Generating System under the Gross Metering Arrangement maximum up to 1 MW.
- 4. The prosumer can either avail facility of net metering arrangement or gross metering arrangement under these Regulations within the same premises.
- 5. The minimum size of the Renewable Energy Generating System that can be set up under Net Metering Arrangement and Gross Metering Arrangement would be 1 kW.
- 6. The capacity of the Renewable Energy Generating System to be installed at the Eligible Consumer's premises shall not exceed the Contract Demand (in case of demand based tariff) or sanctioned load (in case of sanctioned load based tariff) of the Consumer, as applicable.
- Eligible Consumers with pending arrears with the Distribution Licensee shall not be eligible for Net Metering Arrangement or Gross Metering Arrangement under these Regulations.
- 8. The eligible consumers having Net Metering Arrangement or Gross Metering Arrangement under these regulations shall not be entitled to avail the facility of Open Access under MPERC (Terms and conditions for Intra-state open access in Madhya Pradesh), Regulations, (Revision -I), 2021 and subsequent amendments from time to time.
- 9. Third party sale shall not be allowed.

5. Capacity of Distribution Transformer: -

The Distribution Licensee shall update distribution transformer level capacity available for connecting Renewable Energy systems under Net Metering or Gross Metering Arrangement, as the case may be, on yearly basis and shall provide the information on its website in the format as specified under **Annexure-3**:

Provided that the cumulative capacity allowed at a particular distribution transformer of Distribution Licensee shall not exceed 70% of the rated capacity of the distribution transformer.

Provided further that in case of HT/EHT Consumer, the installed capacity of the Renewable Energy system under Net Metering or Gross Metering Arrangement shall not be more than 70% of the rated capacity of the transformer of the Distribution/Transmission Licensee catering supply to such consumer.

6. Interconnection with the Grid:-

- 1. The Distribution Licensee shall ensure that the inter-connection of the Renewable Energy Generating System with its Network conforms to the specifications, standards and other provisions specified in the CEA (Technical Standard for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013, the CEA (Measures relating to Safety and Electric Supply), Regulations, 2010, and the Madhya Pradesh Electricity Grid Code 2019 (Revision II) or as may be specified in future.
- 2. The prosumer, who installs Renewable Energy generating system, shall be responsible for the safe operation, maintenance and rectification of defect of its system up to metering arrangement beyond which, the responsibility of safe operation, maintenance and rectification of any defect in the system shall rest with the Distribution Licensee.
- 3. The Distribution Licensee shall have the right to disconnect the renewable energy system at any time in the event of threat/damage from such renewable energy system to its distribution system to prevent any accident or damage, without any notice. The Distribution Licensee may call upon the prosumer to rectify the defect within a reasonable time.

- 4. The renewable energy system must be capable of detecting an unintended islanding condition. The system must have anti-islanding protection to prevent any feeding into the grid in case of failure of supply or grid. Applicable IEC/IEEE technical standards shall be followed to test islanding prevention measure for grid connected inverters.
- 5. The prosumer may install Grid Interactive Renewable Energy System with or without battery backup:

Provided that, if a prosumer opts for connectivity with storage, the inverter shall have appropriate arrangement to prevent the power from flowing into the grid in the absence of grid supply, and that an automatic as well as manual isolation switch shall also be provided.

- 6. Every renewable energy system shall be equipped with an automatic synchronization device.
- 7. The inverter shall have the features of filtering out harmonics and other distortions before injecting energy into the system of the Distribution Licensee. The Total Voltage Harmonic Distortion (THD) shall be within the limits specified in the Indian Electricity Grid Code (IEGC)/IEEE technical standards.

7. Energy Accounting and Settlement:-

7A. Net Metering Arrangement:-

- 1. The Distribution Licensee shall undertake meter reading of the bi-directional meter, for all prosumers, according to the regular billing cycle.
- 2. For each Billing Period, the Distribution Licensee shall make the following information available on its bill to the prosumer:
 - a. Quantum of electricity injected by RE system in the grid in the billing period, showing opening and closing balance;
 - b. Quantum of electricity supplied by the Distribution Licensee in the billing period,
 showing opening and closing balance;
 - c. Quantum of Net billed electricity;
 - d. Excess electricity carried forward from the last billing period;

- e. Excess electricity carried forward to the next billing period; and
- f. Units used by the Distribution Licensee for RPO compliance.
- 3. The energy exported by the Renewable Energy Generating System shall be offset against the energy consumption of the prosumer from the Distribution Licensee in the following manner:
 - a. If the quantum of electricity units exported exceeds the quantum imported during the Billing Period, the excess quantum of electricity units shall be carried forward to the next Billing Period as credited units of electricity;
 - b. If the quantum of electricity units imported by the prosumer during any Billing Period exceeds the quantum of electricity units exported, the Distribution Licensee shall raise its invoice for the electricity consumption after adjusting the credited units; and
 - c. In such case where the prosumer is under the ambit of time-of-day tariff, the electricity consumption in any time block (e.g., peak hours, off-peak hours, etc.) shall be first compensated with the electricity generation in the same time block. Any cumulative excess generation over and above the consumption in any other time block in a billing cycle shall be accounted as if the excess generation occurred during the off-peak time block

Provided that the imported units under Regulation 7(A) clause 3(a), 3(b) and 3(c) shall satisfy the minimum energy charges criteria or Minimum Charges based on Consumption, as the case may be, of the Retail Supply Tariff order for the respective category of consumer, else charges determined for minimum energy charges criteria or Minimum Charges based on Consumption, as the case may be, in Retail Supply Tariff order shall be applicable.

4. The amount towards unadjusted net credited units of electricity at the end of settlement period shall be payable by the Distribution Licensee by 15th November of the current financial year, at the rate equal to the lowest tariff rate discovered in the solar / wind bidding, as the case may be, for the State of Madhya Pradesh in the preceding Financial

Year. In case no rate is discovered in the preceding financial year, the lowest tariff rate discovered in the latest previous Financial Year shall be considered:

Provided that in case of Renewable Energy Plants other than wind or solar, the applicable rate shall be Average Power Purchase Cost as determined by the Commission for such period in its Retail Supply Tariff Order for Distribution Licensee:

Provided further that at the beginning of each Settlement Period, the cumulative quantum of injected electricity carried forward will be re-set to zero.

- In cases where the Fixed Charges are computed based on consumed units as per Retail Supply Tariff Order, the Fixed Charges shall be computed based on electricity units imported from the Grid.
- 6. The Distribution Licensee in addition to consumer tariff shall be eligible to raise invoice for any other charges as allowed by the Commission and any tax/duty/cess imposed by the Government on the net billed units.
- 7. The prosumer whose entitlement as a consumer of the Licensees is ceased or he is not settling his dues to the licensee, shall not be entitled to receive due amount of the adjustment/credit till the time past dues and other charges as applicable are paid.
- 8. In case of any dispute in billing it shall be settled under the provisions of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the consumers) (Revision II) Regulations, 2021 as amended from time to time.
- 9. An illustrative example for energy accounting and settlement under net metering arrangement is provided as **Annexure-1**.

7B Gross Metering Arrangement:

- 1. The Distribution Licensee shall undertake meter reading of both, the Renewable Energy Generation Meter and the Consumer Meter, for all prosumers, according to the regular billing cycle.
- 2. For each Billing Period, the Distribution Licensee shall make the following information available on its bill to the prosumer:

- (a) Quantum of Renewable Energy generation recorded in the Renewable Energy Generation Meter, showing opening and closing balance;
- (b) Quantum of electricity units consumed by the Consumer from licensee's system in the billing period, showing opening and closing balance;
- (c) Amount of billing credit, if any, in the billing period, showing opening and closing balance; and
- (d) Units from Renewable Energy generation used by the Distribution Licensee for RPO compliance.
- 3. The Distribution Licensee shall purchase entire power generated from the renewable energy generating system at the rate equal to the lowest tariff rate discovered in the solar / wind bidding, as the case may be, for the State of Madhya Pradesh in preceding Financial Year. In case no rate is discovered in that financial year, the lowest tariff rate discovered in the latest previous financial year shall be considered:

Provided that in case of Renewable Energy Plants other than wind or solar, this rate shall be the applicable Average Power Purchase Cost as determined by the Commission for such period in its Retail Supply Tariff Order for Distribution Licensee in force.

4. The energy supplied by the Distribution Licensee during the billing period shall be billed as per the tariff schedule for respective category of consumer and the terms and conditions of the Retail Supply Tariff Order read with provisions under the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021, as amended from time to time:

Provided that the Distribution Licensee shall also be eligible to raise invoice for any other charges as allowed by the Commission and any tax/duty/cess imposed by the Government.

5. The Distribution Licensee shall prepare a net bill comprising of the amount payable by Distribution Licensee as per Regulation 7B(3) above and amount payable by prosumer as per Regulation 7B(4) above for each billing period:

Provided that if the net bill amount for a billing period is payable by the prosumer, then the same shall be paid by the prosumer within the due date of the bill:

Provided further that if the net bill amount for a billing period is payable by Distribution Licensee, then the same shall be carried forward in the bill for next billing period as credited amount. No interest shall be payable by Distribution Licensee on such credited carried forward amount.

- 6. At the end of each Settlement Period, the credited carried forward amount payable by the Distribution Licensee, shall be paid to the prosumer latest by the 15th November of the current Financial Year.
- 7. The prosumer whose entitlement as a consumer of the licensees is ceased or he is not settling his dues with the licensee, shall not be entitled to receive due amount of the adjustment/credit till the time past dues and other charges as applicable are paid.
- 8. In case of any dispute in billing it shall be settled under the provisions of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the consumers) (Revision II) Regulations, 2021 as amended from time to time.

8. Renewable Purchase Obligation: -

The quantum of energy injected by the prosumer from the Renewable Energy System under Net Metering or Gross Metering Arrangement shall qualify towards compliance of Renewable Purchase Obligation (RPO) for the Distribution Licensee.

9. Applicability of other charges: -

The Renewable Energy system under Net Metering or Gross Metering Arrangement, as the case may be, whether self-owned or third party owned installed on prosumer premises, shall be exempted from banking charge, wheeling charges, cross subsidy surcharge and additional surcharge.

10. Metering Arrangement: -

1. All meters installed at the Renewable Energy Generating System shall comply with the CEA (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 and subsequent amendments thereof. All meters shall have Advanced Metering Infrastructure (AMI) facility with RS 485 (or higher) communication port or any other advance communication facility.

- 2. The Net Metering or Gross Metering Arrangement shall include a single-phase or a three-phase Meter, as may be required, located at the same point of inter-connection to the Distribution system within the premises of the prosumer.
- 3. In case of Net Metering Arrangement, the existing meter in the premises of the prosumer shall be replaced by the bi-directional meter at the cost of the prosumer, in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Electricity Supply Code Regulations 2021 as amended from time to time.
- 4. In case of Gross Metering Arrangement, the existing consumer meter in the premises of the prosumer shall be continued for accounting and settlement for the units imported from the grid.
- 5. If the prosumer is within the ambit of Time-of-Day ('ToD') Tariff, the Renewable Energy Generation Meter and the consumer Meter or the bi-directional meter installed (as the case may be), shall be capable of recording ToD generation and consumption respectively.
- 6. The Distribution Licensee shall be responsible for the testing, installation, and maintenance of the metering equipment, and its adherence to the applicable standards and specifications.
- 7. The prosumer shall procure, at his own cost, a Renewable Energy Generation Meter conforming to the applicable CEA Regulations.
- 8. The bi-directional meter or the Consumer meter (in case of Gross metering) and the Renewable Energy Generation Meter shall be installed close to the entrance within the premises so as to make it easily accessible to the meter reader.
- 9. The meters installed shall be jointly inspected and sealed on behalf of both the parties and shall be tested or checked in the presence of the prosumer and representatives of the Distribution Licensee. The prosumer shall be duly informed in advance to be present, if he wishes to, at the time of testing.

11. Processing of application and application fee: -

The Distribution Licensee shall facilitate the process for setting up of RE generation system at consumers' premises. In this regard, the licensee shall

- (a) Create an online portal for receiving applications from consumers for installation, interconnection and metering of distributed Renewable Energy systems or devices, at their premises, and update the same on a regular basis.
- (b) Prominently display on its website and in all its offices, the following namely: -
 - (i) detailed standardized procedure in details for installation and commissioning of Renewable Energy system;
 - (ii) a single point of contact to facilitate the consumers in installation of Renewable Energy system from submission of application form to commissioning;
 - (iii) address and telephone numbers of offices where filled-up application forms can be submitted;
 - (iv) Complete list of documents required to be furnished along with such applications;
 - (v) applicable charges to be deposited by the applicant;
 - (vi) empaneled list of service providers for the benefit of consumers who want to install Renewable Energy system through service providers; and
 - (vii) financial incentives to the consumers, as applicable under various schemes and programmes of the Central and State Governments.
- (c) The Distribution Licensee shall make the form available on its website and through hard copy at its local offices.
- (d) The consumer of the premises shall submit the application to connect its Renewable Energy System to the distribution system of the Licensee in the specified form as Annexure-2 to the Regulation along with processing fee of Rs. 1000 (Rupees One Thousand Only) at the local office of the concerned Distribution Licensee or online through Web portal of Distribution Licensees.
- (e) In case, the application form is submitted in hard copy, it will be received and acknowledgement with the registration number for that application shall be generated and intimated to the applicant immediately. The hard copy shall be scanned and uploaded on the website as soon as it is received. In case, the application form is received online through web portal of the Distribution Licensee, the

acknowledgement with the registration number shall be generated on submission of application. Application shall be deemed to be received on the date of generation of acknowledgement with registration number; and the application tracking mechanism based on the unique registration number shall be provided by the Distribution Licensee through web-based application or any other mode to monitor the status of processing of the application like receipt of application, site inspection, meter installation and commissioning etc.

- (f) Within 20 days, the Licensee shall complete the technical feasibility study and shall communicate to the applicant through email/SMS/post, the sanction / rejection of the application, as the case may be, along with the estimated amount to be deposited and the copy of agreement to be executed by the consumer.
- (g) On receipt of full payment, the Distribution Licensee shall approve the application and intimate the same to the applicant by providing a Letter of Approval (LoA) via email/SMS/post, within thirty (30) days from the issuance of acknowledgement of the application.
- (h) During the time period from the feasibility study till the completion of installation, in case, there is any requirement of upgradation of distribution infrastructure like augmentation of service line, distribution transformer capacity, etc., for installation of the required capacity of Renewable Energy system, the same shall be carried out by the Distribution Licensee or consumer, as the case may be in accordance with Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenses and Other Charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) Regulations, (Revision-I) 2009 and its subsequent amendments and revisions.
- (i) After installation of Renewable Energy system, the prosumer shall submit the installation certificate to the Distribution Licensee. The licensee shall complete signing of connection agreement, installation of meter and successful commissioning of the Renewable Energy system within thirty days from the date of submission of the installation certificate. Formats of connection agreement and installation certificate shall be placed on web portal of the Distribution Licensee within the thirty days of notification of these Regulations.

- (j) Prosumer shall have the option of purchasing the requisite meter himself which shall be tested and installed by the Distribution Licensee.
- (k) The timelines as specified above in these Regulations shall be adhered to by the Distribution Licensee. In case of delay, the Licensee may take approval from the Commission in specific cases along with justification for the same.
- (l) In case of any delay on the part of Distribution Licensee without any just cause, the Licensee shall be liable to pay compensation to the consumer at a rate of Rs. 500 (Rupees five hundred only) per day for each day of default.
- (m) The Distribution Licensee shall pass on the financial incentives to the prosumers, as may be provided under various schemes and programs of the Central and State Governments.
- (n) In case of any billing dispute, the prosumer may approach to the Electricity Consumer Grievance Redressal Forum of the concerned Distribution Licensee.

12. Penalty or Compensation

In case of failure to meet the timelines prescribed under these Regulations, the Distribution Licensee shall be liable to pay compensation to the consumer as specified under Regulation 11 (1) above.

13. Connection Agreement

The Distribution Licensee and prosumer shall enter into a Net Metering Connection Agreement or Gross Metering Connection Agreement, as the case may be, after approval of connectivity of the Renewable Energy Generating System with the Distribution Network by the Distribution Licensee but before the start of actual generation from the System.

14. Power to give Directions: -

The Commission may from time to time issue such directions and orders as considered appropriate for the implementation of these Regulations.

15. Power to Relax: -

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and

after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on a petition filed before it by an interested person.

16. Power to Amend: -

The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any provisions of these Regulations.

17. Repeal and Savings

- The Regulations namely "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grid Connected Net Metering) Regulations 2015" and its all amendments thereto, are hereby superseded.
- 2. Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such Orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Commission.
- 3. Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- 4. Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

By order of the Commission, GAJENDRA TIWARI, Secy.

Annexure-1

Illustration for Energy Accounting and Settlement under Net Metering Arrangement

LT Category Prosumers

The following illustration is for Urban LT Domestic Category prosumer with the following Tariff Schedule as per Retail Supply Tariff Order for FY 2022-23:

LV 1.2

(i) Energy Charge and Fixed Charge - For metered connection

Monthly Consumption	Energy Charge with telescopic benefit	Monthly Fixed Charge (Rs.)		
Slab (Units)	(paise per unit) Urban/ Rural areas	Urban Areas	Rural Areas	
Up to 50 units	421	69 per connection	55 per connection	
51 to 150 Units	517	121 per connection	98 per connection	
151 to 300 Units	655	26 for each	23 for each	
151 to 500 Omts	033	0.1 kW load	0.1 kW load	
Above 300 Units	674	27 for each	26 for each	
A A S O C S O O O O O O O O O O O O O O O O	0/4	0.1 kW load	0.1 kW load	

Minimum Energy Charges: Rs. 70 per connection per month as minimum charges towards energy charges are applicable for above categories.

Note:

(1) The fixed charges shall be levied considering every 15 units of consumption per month or part thereof equal to 0.1 kW of load. **Example**: If consumption during the month is 125 units, then the fixed charges shall be levied for 0.9 kW. In case the consumption is 350 units then the fixed charges shall be levied for 2.4 kW.

Assumption:

- 1. Renewable Energy System Installed: 5 kW
- 2. Average Solar generation per day: 4 units/kW

Energy Accounting and settlement as per Regulation 7A of the MPERC (Grid Interactive Renewable Energy System and Related Matters) Regulations, 2022

a. Import of electricity from Grid is more than Export of electricity generated from RE System

S.No.	Information to be shown on bill	Values	Remarks
1.	Quantum of electricity injected by RE system in the grid in the billing period	150 Units	Total Units generated by RE system = 600 units

S.No.	Information to be shown on bill	Values	Remarks
2.	Quantum of electricity supplied by the Distribution Licensee in the billing period, including opening and closing balance	450 Units	
3.	Quantum of Net billed electricity, for which payment is to be made by the prosumer	300 Units	(2)-(1)-(4) i.e., Import > Export and no credited units are available from previous billing
4.	Excess electricity carried forward from the last billing period	0 Units	
5.	Excess electricity carried forward to the next billing period	0 Units	
6.	Renewable Energy Units used by Distribution Licensee for RPO compliance	150 Units	In line with Regulation 8,

Therefore,

	Energy Charges to be paid by Prosumer	Slab	Rate (Paise per unit)	Billed Units	Amount (Rs.)
	1. To be considered on Net	Up to 50 units	421	50	210.50
	billed Units = 300 Units (s.no.3 above), (Imported	51 to 150 Units	517	100	517.00
7	units are above the	151 to 300 Units	655	150	982.50
	minimum energy charges criteria as per Retail Supply Tariff order.)	Above 300 Units	674		
	Turing order.)	Total Ener	gy Charges (F	Rs,)	1710.00
8	Fixed Charges to be paid by Prosumer {To be considered on Imported Units from Grid = 450 Units (s.no.2 above)}	450 Units @ Rs. i.e.	Rs. 810.00		

9	Other charges as applicable to the Prosumer (viz. FCA/Tax/Cess etc.)	Rs.100.00
	[To be considered on Net billed units = $300 \text{ Units (s.no.3 above)}]$	(say)
10	TOTAL BILL PAYABLE BY PROSUMER (10 = 7+8+9)	Rs. 2620.00

b. Export of electricity generated from RE System is more than electricity imported from Grid

S.No.	Information to be shown on bill	Values	Remarks
1.	Quantum of electricity injected by RE system in the grid in the billing period	450 Units	Total Units generated by RE system = 600 units
2.	Quantum of electricity supplied by the Distribution Licensee in the billing period, including opening and closing balance	300 Units	Imported units are above the minimum energy charges criteria as per Retail Supply Tariff order
3.	Quantum of Net billed electricity, for which payment is to be made by the prosumer	0 Units	(2)-(1)-(4) Since Export > Import, the excess units are carried forward to next billing cycle.
4.	Excess electricity carried forward from the last billing period	0 Units	
5.	Excess electricity carried forward to the next billing period	150 Units	(1)-(2)-(4)
6.	Renewable Energy Units used by Distribution Licensee for RPO compliance	450 Units	In line with Regulation 8,

Therefore,

	Energy Charges to be paid by	Slab	Rate (Paise	Rs. 00.00	
7	Prosumer		per unit)	(As Exported Units >	
/ t	{To be considered on Net billed	Up to 50 units	421	Imported Units excess units would be carried	
	$Units = 0 \ Units \ (s.no.3 \ above)$	51 to 150 Units	517	forward to next billing	

	(Imported units are above the minimum energy charges criteria as per Retail Supply Tariff order)	151 to 300 Units Above 300 Units	655	cycle.)
8.	Fixed Charges to be paid by Prosumer	300 Units @ 26 for load i.e., for		Rs. 520.00.
9.	Other charges as applicable to the etc.) {To be considered on Net Billed units			0.00
10.	TOTAL BILL PAYABLE BY PROSUMER (10 = 7+ 8+9)			Rs. 520 .00

Annexure-2

Format for application for a Net Metering/ Gross Metering Connection

To

The Executive Engineer, Distribution Licensee (Name of the Office)

I herewith apply for a Renewable Energy Net-Metering/Gross-Metering Connection at the existing service connection and for the renewable energy plant of which details are given below:

S.No.	Particulars	*
1.	Name Of Applicant	
2	Address Of Applicant	
3	Service Connection Number	
4	Telephone/Mobile Number (S)	
5	Email Id	
6	Plant Capacity (In Kilo Watts)	
7	Whether The System Has Automatic Isolation Protection (Y/N)	
8	Has A Separate Renewable Energy Generation Meter Been Installed (Y/N)	
9	Expected Date Of Commissioning Of The Renewable Energy System	
10	Details Of Test Certificates Of The Plant	

- 1	$\overline{}$	-		
		а	TA	∽-

Signature of Applicant

Acknowledgement

Received an application for a Net-Metering/ Gross-Metering connection from

Name of Applicant:

Service Connection number:

Plant capacity:

Application registration number:

Date of receipt:

Name	and	Signature	of	Officer
Design	natio	n		

Annexure - 3

Distribution Transformer-wise capacity

Details(To be updated on yearly basis)

Details as on_____

Transformer	Location of	Name Plate Capacity	Peak Load during last	Peak Load	Cumulative capacity of connected RE
Code	Transformer	(kVA)	Financial Year	Quarter	Generating
1	n:		(kVA)	(kVA)	System
					(kW/kVA)

अंतिम नियम

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल

चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)

क्रमांक 672-का.प्र.1-मण्डल-2022

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2022

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती) विनियम, 2016

आदेश क्रमांक 668/435/2022/18—6 दिनांक 12.07.2022 म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती) विनियम 2016 के भाग—एक, विनियम 5 गठन वर्गीकरण एवं वेतनमान के बिन्दु 3 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती) विनियम 2016 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

संशोधन

अनुसूची — तीन (विनियम—6 देखिए)

(पदों की संख्या एवं विभाजन)

अ नु क्र	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पदा का संख्या एवं विभाजन) प्रस्तावित संशोधन भरे जाने वाले पदों का विभाजन				अभ्युक्तियां	
			सीधी भरती	विमागीय पदोन्नति	अन्य	संविदा नियुक्ति		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3	उपायुक्त (सिविल)	10	_	8	1 (प्रतिनियुक्ति)	1	केन्द्र सरकार /राज्य सरकार या उनके उपक्रमों के अधीक्षण यंत्री स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रतिनियुक्ति के लिए यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो संचालक मण्डल समय— समय पर विभागीय पदोन्नति से पद भरने की अनुज्ञा दे सकेगा।	
13	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	31	_	30	=	1	_	
25	शाखा अधिकारी / संपदा प्रबंधक	43	11	31	_	1	समान संवर्ग	
30	निज सहायक	12	-	11	_	1	_	

भरत यादव, आयुक्त.

Bhopal, the 19th Jule 2022

Order No 668/435/2022/18-6 Dated 12-07-2022 In exercise of the powers conferred by the proviso to M.P.Housing & Infrastructure Development Board (organizational structure & recruitment) Regulations 2016 Part 1 point 3 of Regulation 5 Constitution, classification and Pay Scale hereby makes the following further amendment in the M.P.Housing & Infrastructure Development Board (organizational structure & recruitment) Regulations 2016

AMENDMENT
Schedule – III
(See regulation 6)
(No. of Posts and Division)

S. No.	Name of Post	No. of Sanctioned Posts	Divis	Remarks			
			Direct Recruit ment	Depart mental Promotion (5)	Others (6)	Contractual Appointment	(8)

13	Executive Engineer (Civil)	31	-	30	= 7	01	- 4
25	Branch Officer / Estate Manager	43	11	31	-	01	Same Cadre
30	Personal Assistant	12	_	11	-	01	-

BHARAT YADAV, Commissioner.